प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-14 नवम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश की कारागारों में स्थापित विभिन्न उपकरणों/मशीनों को आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त/नष्ट होने से बचाने हेतु 20 कारागारों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23423/आधु0-1/92/ला0प्रो0सि0/22-23, दिनांक-19 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों में स्थापित विभिन्न उपकरणों/मशीनों को आकशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त/नष्ट होने से बचाने हेतु 20 कारागारों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 108.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में स्थापित विभिन्न उपकरणों/मशीनों को आकशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त/नष्ट होने से बचाने हेतु 20 कारागारों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 1,08,00,000/-(रूपया एक करोड़ आठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित उपकरण की संख्या	अनुमानित लागत प्रति	अनुमानित कुल लागत
1	केन्द्रीय कारागार, नैनी	01	540000	540000
2	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	01	540000	540000
3	केन्द्रीय कारागार, बरेली	01	540000	540000
4	केन्द्रीय कारागार, आगरा	01	540000	540000
5	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	01	540000	540000
6	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	01	540000	540000
7	जिला कारागार, कानपुर नगर	01	540000	540000
8	जिला कारागार, गाजियाबाद	01	540000	540000
9	जिला कारागार, मेरठ	01	540000	540000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	जिला कारागार, बुलन्दशहर	01	540000	540000
11	जिला कारागार, वाराणसी	01	540000	540000
12	जिला कारागार, अलीगढ़	01	540000	540000
13	जिला कारागार, सीतापुर	01	540000	540000
14	जिला कारागार, फिरोजाबाद	01	540000	540000
15	जिला कारागार, खीरी	01	540000	540000
16	जिला कारागार, मुरादाबाद	01	540000	540000
17	जिला कारागार, कानपुर देहात	01	540000	540000
18	जिला कारागार, झांसी	01	540000	540000
19	जिला कारागार, शाहजहांपुर	01	540000	540000
20	जिला कारागार, बाराबंकी	01	540000	540000
	योग	20	-	10800000

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा। सामग्री एवं वस्तुओंसेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्मं, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्यं उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कर्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,08,00,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-268-X-2022-23, दिनांक- 20.10.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-112/2022/1133/001-22-4-2022-48-05-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।